न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 160/2019 दायरा दिनांक : 04.12.2019

उनवान

नन्दकिशोर पुत्र भूरा तथाकथित पुत्र रूपा, जाति कुम्हार, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां .... अपीलांट

बनाम

1– काली बाई पुत्री रूपा पत्नी रामकस्वरूप, जाति कुम्हार, निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

2– नट्टीबाई पुत्री रूपा पत्नी धनराज, जाति कुम्हार, निवासी परानियां तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– सत्यनारायण पुत्र रूपा, जाति कुम्हार, निवासी उम्मेदपुरा हाल निवासी पुरोहित जी की टापरियां स्मार्ट टेन्ट हाऊस, पूनम कॉलोनी, रेल्वे स्टेशन के पास कोटा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

4– चौथमल पुत्र रूपा, जाति कुम्हार, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओ पी मेहता ।।, श्री श्याम लाल सुमन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 86/2017 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.10.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा बिना अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबंध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

प्रोपर तामील करवाये निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । ग्राम लालगंज पटवार हल्का बरूनी की आराजी खसरा नम्बर 94 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा के मूल खातेदार भूरया वल्द कन्हीराम, जाति कुम्हार के खातेदारी में थी जो भू प्रबन्ध विभाग ने सम्वत 2013–35 में आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 86 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 94 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा कुल 3 किता कुल रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा दर्ज थी जो नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 22.07.1972 को ग्राम पंचायत दीगोदपार द्वारा भूरा पुत्र कन्हीराम का फौती नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो तुलसां जोजे पुत्र रूपा कुम्हार के नाम दर्ज किया गया है जबकि भूरा पुत्र कन्हीराम के दो पत्नियां थी पहली पत्नी मोत्याबाई थी जिसका देहान्त होने पर दूसरी पत्नी केशरी बाई को नाते से लाया था जिससे मोत्या बाई के एक मात्र पुत्री तुलसां बाई हुई तथा नातेशुदा पत्नी केशरीबाई के एक मात्र पुत्र अपीलांट नन्दकिशोर हुआ । इस प्रकार भूरा के एक पुत्र नन्दकिशोर व एक पुत्री तुलसां बाई थी किन्तु भूरा के देहान्त होने पर वादग्रस्त आराजी तुलसां बाई के नाम दर्ज कर दी गई जबकि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित था । वादग्रस्त आराजी तुलसां जोजे रूपा के खाते दर्ज होने के कारण गलत रूप से उसने मुकेश नाबालिग पुत्र हजारीलाल को बेचान कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 240 जिसका नोट जमाबंदी सम्वत 2057–60 में अंकित है इस प्रकार तुलसां द्वारा अपने 1/2 हिस्से में से 2 बीघा 18 बिस्वा का बेचान करने के बाद उसके हिस्से से कम किया जाना चाहिए था इस प्रकार 21 बीघा 11 बिस्वा में अपीलांट का 1/2 हिस्सा निहित था किन्तु गलत रूप से तुलसां के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 540 दिनांक 07.02.2018 खसरा नम्बर 94 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा पर खोला गया जिसमें अपीलांट को रूपा का पुत्र बताया गया है जिसमें अपीलांट का 1/7 हिस्सा गलत दर्ज किया गया है जबकि उसका 1/2 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निहित था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.10.2018 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.11.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बारां (राज.)

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में सरपंच द्वारा बनाया गया वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 12.07.2019 अपीलांट ने पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31.10.2018 का है । अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड व बैंक पासबुक जिसमें नन्दकिशोर पुत्र रूपा है पेश की है । अपीलांट अपनी मॉ का भाई बन रहा है वह वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा लेना चाहता है । वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार भूरा था जिसकी एक मात्र लड़की तुलसां बाई थी । अपीलांट व रेस्पोडेंट इसी तुलसां बाई के वारिस हैं । आराजी पर सभी का बराबर बराबर का हिस्सा निहित है । भूरा के फौत होने के बाद वादग्रस्त आराजी में तुलसां बाई का नाम आ गया । तुलसां बाई के फौत होने के बाद अपीलांट व रेस्पोडेंट का नाम आ गया । अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 का दावा किया जिस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया । अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में नहीं आये अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड के आधार विभाजन कर दिया । सरपंच वारिस प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अध्ययन करने से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र एक बार अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को सम्मन जारी करने का आदेश दिया गया है जिस पर कार्यालय द्वारा दिनांक 04.10.2017 को सम्मन जारी किया गया है । उक्त सम्मन की पुश्त पर तामील कुनिन्दा द्वारा चस्पानदगी से तामील दर्शायी गयी है । नोटिस के पुश्त पर एक मौतबिरान के हस्ताक्षर हैं उसका किसी प्रकार का विवरण अंकित नहीं किया गया है मात्र नाम अंकित किया गया है । सम्मन की तामीली रिपोर्ट पर या पत्रावली में अन्य ऐसा कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है कि

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

सम्मनित व्यक्ति के निकट भविष्ट में घर पर मिलने की कोई संभावना नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिकाओं से यह भी परिलक्षित नहीं होता है कि तामील कुनिन्दा पीठासीन अधिकारी स्वयं के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा इस सम्बन्ध में परीक्षण किया गया हो । इस प्रकार चस्पानदगी द्वारा दशाई गयी उक्त तामील को सी. पी. सी. के उक्त प्रावधानुसार विधिवत् तामील कराया जाना नहीं माना जा सकता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध की गई एक तरफा कार्यवाही को हम कानूनी दृष्टिकोण से उचित नहीं मानते हैं । अतः हम अपील को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.06.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा